



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 151]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 8, 2001/फाल्गुन 17, 1922

No. 151]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 2001/PHALGUNA 17, 1922

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2001

का.आ. 209(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ चौवनवां संशोधन) नियम, 2001 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—
(1) प्रथम अनुसूची में,—
(क) "6. संचार मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "(iii) दूर संचार सेवा विभाग" और "(iv) दूरसंचार प्रचालन विभाग" उपशीर्षों का लोप किया जाएगा;
(ख) "15. मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "(ii) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग" उपशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—
" (ii) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग।";
(2) द्वितीय अनुसूची में,—
(क) "संचार मंत्रालय" शीर्ष के अधीन,—
(i) "क. दूरसंचार विभाग" उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—
"17. भारत संचार निगम लिमिटेड।
18. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड और टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड।
19. टेलिमेडिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले।

20. तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार प्रचालन विभाग से संबंधित अवशिष्ट कार्य जिनके अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित विषय भी हैं :—
- (क) समूह 'क' और अन्य प्रखण्डों के कार्मिकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में उनके आमेलन तक कांडर नियंत्रण कृत्य;
- (ख) सेवांत प्रसुविधाओं का प्रशासन और संदाय।
21. दूर संचार से संबंधित पूंजीगत बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों के क्रय का निष्पादन और भूमि का अर्जन।";
- (ii) "डाक विभाग" उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टियां 1 से 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
1. अन्य देशों के साथ ऐसी संधियों और करारों का कार्यान्वयन जिनका संबंध डाक विभाग में व्यवहृत मामलों से है।
 2. डाक विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन जिसके अंतर्गत भूमि का क्रय भी है।
 3. डाक, जिसके अंतर्गत डाकघर बचत बैंक (प्रशासन), डाकघर प्रमाण पत्र (प्रशासन), डाक घर जीवन-बीमा निधि (प्रशासन), सार्वजनिक डाक टिकट/संस्मारक टिकट, प्रीमियम पोस्टल प्रोडक्ट्स का मुद्रण और कोई अभिकरण कृत्य भी हैं।
 4. डाक संचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनके अंतर्गत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एशिया पेसेफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीपी), कामनवैल्थ पोस्टल यूनियन जैसे डाक संचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं।
 5. सभी डाक सेवाओं की पुरःस्थापना, विकास और अनुरक्षण से संबंधित मामले जिनके अंतर्गत केबल, रेडियो और उपग्रह संचार चैनलों पर आधारित सेवाएं भी हैं :
बशर्ते कि ये मामले प्रसारण, सीमित प्रसारण, केबल और रेडियो नेटवर्क सेवाओं से संबंधित न हों और भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसकी अधीन बनाए गए नियमों से भी शासित न हों।
 6. इस विभाग को आवंटित कार्यों के क्षेत्र में साध्यता सर्वेक्षण, अनुसंधान और विकास का संवर्धन।
 7. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 और तद्वती बनाए गए नियमों एवं डाक कार्यों से संबंधित अन्य विधियों अथवा अधिनियमितियां जो विशिष्टतया, किसी अन्य विभाग को आवंटित न किए गए हों, के प्रशासन से संबंधित मामले।
 8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।
 9. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के प्रयोजनार्थ जांच तथा आंकड़े।
 10. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत फीस किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं हैं।
- (iii) "ग. दूरसंचार सेवा विभाग" और "घ. दूरसंचार प्रचालन विभाग" उपशीर्ष तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- (ख) "वित्त मंत्रालय" शीर्ष के अधीन—
- (i) "क. आर्थिक कार्य विभाग" उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"1. राजस्व विभाग के अधीन वर्णित प्रवर्तन कार्य से भिन्न विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) का प्रशासन।";
 - (ii) "ग. राजस्व विभाग" उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"17. प्रवर्तन अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन भंगों से उद्भूत मामलों का अन्वेषण और न्याय निर्णयन; राजस्व आसूचना महानिदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय।";
- (ग) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "ग. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग" उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 14 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"15. औषधीय पादप बोर्ड।";
- (घ) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "ख. माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग" उपशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

- “ख. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग”;
 (ड) “विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय” शीर्ष के अधीन, “क. विधि कार्य विभाग” उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
 “13. विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण।”।

के. आर. नारायणन
 राष्ट्रपति।

[फा. सं. 1/22/1/2001-कैबिनेट]

वी. के. गाबा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2001

S. O. 209 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty-fourth Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—
 - (1) in the First Schedule,—
 - (A) under the heading “6. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)”, sub-headings “(iii) Department of Telecom Services (Door Sanchar Seva Vibhag)” and “(iv) Department of Telecom Operations (Door Sanchar Prachalan Vibhag)” shall be omitted;
 - (B) under the heading “15. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)”, for the sub-heading “(ii) Department of Secondary Education and Higher Education (Madhyamik Shiksha aur Uchchatar Shiksha Vibhag)”, the following sub-heading shall be substituted, namely :—
 “(ii) Department of Secondary and Higher Education (Madhyamik aur Uchchatar Shiksha Vibhag).”;
 - (2) in the Second Schedule,—
 - (A) under the heading “MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)”,—
 - (i) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOOR SANCHAR VIBHAG)”, after entry 16, the following entries shall be added, namely :—
 “17. Bharat Sanchar Nigam Limited.
 18. Mahanagar Telephone Nigam Limited, Videsh Sanchar Nigam Limited and Telecommunicaitons Consultants (India) Limited.
 19. All matters relating to Centre for Development of Telematics (C-DOT).
 20. Residual work relating to the erstwhile Department of Telecom Services and Department of Telecom Operations, including matters relating to the following :—
 (a) cadre control functions of Group ‘A’ and other categories of personnel till their absorption in Bharat Sanchar Nigam Limited;
 (b) administration and payment of terminal benefits.
 - (ii) under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF POSTS (DAK VIBHAG)”, for the entries 1 to 6, the following entries shall be substituted, namely :—
 “1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within the Department of Posts with other countries.
 2. Execution of works, including purchase of land debitible to the Capital Budget pertaining to the Department of Posts.
 3. Posts, including Post Office Savings Banks (Administration), Post Office Certificate (Administration), Post Office Life Insurance Fund (Administration), printing of public postage stamps/commemorative stamps, premium postal products and any agency function.

4. International relations in matters connected with postal communications, including matters relating to all international bodies dealing with postal communications such as Universal Postal Union, Asia Pacific Postal Union (APPU), Commonwealth Postal Union.
 5. Matters relating to introduction, development and maintenance of all Postal Services including those based on cable, radio and Satellite communications channels :
 Provided that these matters do not amount to broadcasting, narrowcasting, cable and radio networking services and are also not governed by the Indian Telegraph Act, 1885 and the rules made thereunder.
 6. Promotion of feasibility survey, research and development in the field of activities allotted to the Department.
 7. Matters relating to administration of the Indian Post Office Act, 1898 and rules made thereunder as well as other laws or enactments having a bearing on postal activities, not specifically allotted to any other Department.
 8. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list
 9. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters specified in this list.
 10. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.”;
- (iii) sub-headings “C. DEPARTMENT OF TELECOM SERVICES (DOOR SANCHAR SEVA VIBHAG)” and “D. DEPARTMENT OF TELECOM OPERATIONS (DOOR SANCHAR PRACHALAN VIBHAG)” and entries relating thereto shall be omitted.;
- (B) under the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)”, —
- (i) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)”, for entry 1, the following entry shall be substituted, namely :—
 “1. Administration of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) other than enforcement work mentioned under the Department of Revenue (Rajaswa Vibhag) ”;
 - (ii) under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF REVENUE (RAJASWA VIBHAG)”, for entry 17, the following entry shall be substituted, namely :—
- “17. Enforcement, viz., investigation, and adjudication of cases arising out of breaches under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), Directorate General of Revenue Intelligence and Directorate of Enforcement.”;
- (C) under the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “C. DEPARTMENT OF INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE AND HOMOEOPATHY (BHARTIYA CHIKITSA PADDHATI AUR HOMOEOPATHY VIBHAG)”, after entry 14, the following entry shall be added, namely:—
 “15. Medicinal Plant Board.”;
- (D) under the heading “MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)”, for the sub-heading “B. DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION (MADHYMIK SHIKSHA AUR UCHCHATAR SHIKSHA VIBHAG)”, the following sub-heading shall be substituted, namely:—
 “B. DEPARTMENT OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION (MADHYMIK AUR UCHCHATAR SHIKSHA VIBHAG)”;
- (E) under the heading “MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANY KARYA MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS (VIDHI KARYA VIBHAG)”, for entry 13, the following entry shall be substituted, namely:—
 “13. Appellate Tribunal for Foreign Exchange.”.

K. R. NARAYANAN
 PRESIDENT.

[F. No. 1/22/1/2001-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.